1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर म.प्र. 2010

निगरानी/सागर/भू.रा/2018/1710

दामोदर आयु करीब 70 साल वल्द स्व. मिहीलाल पटैल

B-O-R निवासी ग्राम पगारा थाना कैन्ट तहसील व जिला सागर

16 FEB 2018

--आवेदक/ रिवीजनकर्ता

// विरुद्ध //

1- प्रमोद कुमार पटैल आयु करीब 45 साल वल्द जीवनलाल पटैल

2- चन्द्रकांत पटैल आयु करीब 35 साल वल्द जीवनलाल पटैल

दोनो निवासी शास्त्री वार्ड सागर थाना मोतीनगर तह.व जिला सागर

-- अनावेदक गण

रिवीजन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. रा.संहिता 1959

श्री ... ... द्वारा प्रस्तुत. आलोचक कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

35 23/02/18

आवेदक/ रिवीजनकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर के द्वारा प्र.क्र. 1639/बी 121/वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24-1-18 से दुखित होकर निम्न आधारो पर यह रिवीजन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है ।

// रिवीजन के तथ्य //

1- यह कि आवेदक ग्राम पगारा का स्थाई निवासी है तथा गरीब कृषक है तथा वह कमजोर वर्ग की श्रेणी मे आता है । आवेदक/रिवीजनकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर के न्यायालय मे अनावेदक गणो के विरुद्ध एक आवेदनपत्र धारा 5 कमजोरवर्गो के क कृषिधारको को उधार देने वालो के भूमि हडपने संबंधी कुचक्रो के परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976के तहत दिनांक 23-8-17 को प्रस्तुत किया कई रिवीजनकर्ता ने उपरोक्त आवेदन अपने अधिवक्ता से बनवाया ।

दामोदर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/1710 दामोदर विरूद्ध प्रमोद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक श्री बांके बिहारी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 1639/बी-121/वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24-01-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता	

3/1/19

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के.जैन) 3/1/19
सदस्य